**रजिस्टर्ड/सील्ड**

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1061/2025/707/22-2-2023-17(921)2019

लखनऊ: दिनांक: 22 अगस्त, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती धनदेवी उर्फ जावित्री (बन्दी संख्या-388/2017) पत्नी जयवीर सिंह, गोपालपुर नगरिया, थाना-बिथरी चैनपुर, जनपद-बरेली का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-190/2010 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-01, बरेली के दण्डादेश दिनांक 15.03.2011 द्वारा 10 वर्ष का कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.05.2017 द्वारा 10 वर्ष की सजा को घटाकर 07 वर्ष कर दिया गया, बंदी द्वारा दिनांक 31.07.2022 तक 03 वर्ष 09 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 06 माह 28 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं महिला बन्दी की 72 वर्ष आयु, संतोषजनक जेल आचरण तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा रिहाई की संस्तुति किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बरेली के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या-1061/2025/707(1)/22-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in